

झारखण्ड सरकार,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।
सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर में
नामांकन की सूचना

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर में एस0सी0भी0टी0 (SCVT) के अन्तर्गत सितम्बर 2017 में प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिए निम्नलिखित व्यवसायों में नामांकन के निमित्त इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों से अनुसूची-क के अनुसार हस्त लिखित/टंकित आवेदन पत्र दिनांक **22.07.2017** संध्या 05 बजे तक डाक द्वारा औ0 प्र0 संस्थान, डालटनगंज, पिनकोड-822102 में आमंत्रित किए जाते हैं-

| सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर में नामांकन हेतु प्रशिक्षणार्थियों का कोटिवार सीटों का विवरणी:- | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------------|----|-----|------|-------|-----------------|-----|--------------------|------------|
| Sl. | Institute Name | Period | Name of the Trade | स्वीकृत सीट | स्वीकृत सीट का विभाजन | | | | | सुपरन्युमरी सीट | | | Total Seat |
| | | | | | GEN | ST | SC | BC-I | BC-II | PH | SMQ | Super numric ST/SC | |
| | | | आरक्षण प्रतिशत में | | 50% | 8% | 27% | 9% | 6% | | | | |
| 1 | औ0प्र0 संस्थान, छतरपुर | दो वर्षीय कोर्स | फीटर (दो यूनिट) | 32 | 16 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| | | | इलेक्ट्रीशियन (दो यूनिट) | 32 | 16 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| | | एक वर्षीय कोर्स | डीजल मैकेनिक (दो यूनिट) | 32 | 16 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| | | | वेल्डर (दो यूनिट) | 24 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 32 |

1. प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है:-

(क) वेल्डर व्यवसाय के लिए आठवां (8वां) उत्तीर्ण।

(ख) शेष व्यवसायों के लिए माध्यमिक/10वां/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 10+2+3 प्रणाली के आधार पर।

(ग) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जाएगा। आई0 एस0 सी0, आई0 ए0, आई0 कॉम तथा इससे उच्चतर के उम्मीदवारों को 15 अंक का अधिभार दिया जायेगा।

2. आयु अहर्ता:-

(क) 01 जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।

(ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।

आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वां समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैध होगी। आठवां (8वां) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि वैध होगी।

3. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।
4. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क के रूप में 100/- (सौ रुपये) मात्र का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर देना होगा। जो प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर के पदनाम से भुगतेंगे होगा। किसी भी शर्त पर यह राशि नगद राशि के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा ना ही लौटायी जायेगी। पोस्टल ऑर्डर एक माह के अन्दर का होना चाहिए।
5. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/- (पचास) रुपये मात्र कौशन मनी के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।
7. **आरक्षण अहर्ता:-** (क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या-2020, दिनांक-09.04.2010 के अनुसार रहेगा जिसका विस्तृत ब्यौरा अनुमण्डल कार्यालय से लिया जा सकता है।

(ख) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध ना हों तो अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जाएगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का नामांकन किया जायेगा।

(ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति दोनों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से नामांकन किया जायेगा।

(घ) यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार न हों तो पिछड़ा वर्ग से नामांकन किया जायेगा।

(ङ) यदि इसके बाद भी सीट बच जाती है तो उन्हें सामान्य वर्ग से भरा जायेगा।

(च) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुना-गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध माना जायेगा।

(छ) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत नामांकन सुपरन्यूमरी के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(ज) भूतपूर्व सैनिकों या भूतपूर्व सैनिकों (किसी भी वर्ग के) के आश्रितों के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित है।

(झ) विकलांगों (किसी भी वर्ग के) के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित है।

8. **आवासीय अहर्ता:**— सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना पत्रांक-14/स्थानीय निति-14-3/2016 का-4650, दिनांक-02.06.2016 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल) या उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. **जाति आधारित अहर्ता:**— नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल) या उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. नामांकन में जिला की बाध्यता नहीं है। किसी भी जिला के उम्मीदवार किसी भी आई0 टी0 आई0 में नामांकन ले सकते हैं।
11. आवेदन पत्र के साथ (क) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति (ख) उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति (ग) उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की छायाप्रति एवं (ख) पंजीयन शुल्क के रूप में 100 रू0 मात्र का पोस्टल ऑर्डर (एक माह के अन्दर का) जो **प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर** के पदनाम से भुगतये होगा एवं स्वपतायुक्त लिफाफा डाक टिकट सहित (Self addressed Envelope with postal stamp) संलग्न करना है।
- नोट:— नामांकन के समय सभी प्रमाण-पत्रों तथा शैक्षणिक योग्यता, उम्र, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से **प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर** को इस तरह भेजे ताकि दिनांक-**22.07.2017** तक प्राप्त हो जाये। अंतिम तिथि के पश्चात या आधे-अधुरे भरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूची "क"

नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम:—.....
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....
(हिन्दी में).....
3. (क) पिता का नाम :-.....
(ख) अभिभावक का नाम :-.....
4. पिता/अभिभावक का पेशा:—.....
5. लिंग (कृपया ✓ का चिन्ह लगाएं) :- महिला पुरुष

(कृपया अपना नया पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें।)

6. उम्मीदवार का पूरा पता :-.....
 (क) स्थायी पता :-.....
 (ख) थाना :-.....गृहजिला-.....पिन नं०.....
 (ग) पत्राचार का पता :-.....

(घ) मोबाईल संख्या (1)..... मोबाईल नं० (2).....

7. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन:-.....

8. जन्मतिथि (प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :-

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
| | | | | | | | |

9. दिनांक 1 जुलाई 2017 को आयु :-

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
| | | | | | | | |

10. जाति (कृपया ✓ का चिन्ह लगाएं):-

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग
 सामान्य

11. धर्म (कृपया ✓ का चिन्ह लगाएं):-

हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई अन्य

12. पहचान चिन्ह:-

13. शैक्षणिक योग्यता:-

कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें:-

| क्र० | परीक्षा का नाम | बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम | विद्यालय/महाविद्यालय का नाम | उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक) | श्रेणी | प्राप्तांक | कुल अंक | परीक्षा के विषय | अभियुक्ति |
|------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------|-----------------|-----------|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |

नोट:- आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से सम्बंधित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें।

14. क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं (कृपया ✓ का चिन्ह लगाएं) (अगर हां तो छायाप्रति संलग्न करें):-

हां नहीं

15. क्या उम्मीदवार विकलांग हैं? (अगर हां तो प्रमाण पत्र का छायाप्रति संलग्न करें)(कृपया ✓ का चिन्ह लगाएं) - हां नहीं

16. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिग दोनों की अलग-अलग संख्या:-

17. आवेदक पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क (100/- रुपये मात्र) के रूप में संलग्न पोस्टल ऑर्डर की संख्या निर्गत होने की तिथि तथा राशि:-

18. पोस्टल ऑर्डर का विवरण:-

| Sl. No. | Date | Postal Order No. | Rupees |
|---------|------|------------------|--------|
| | | | |

19. अनुलग्नक की विवरणी:- 1)..... 2)..... 3).....
4)..... 5)..... 6)..... 7).....

मैं पिता का नाम

प्रमाणित करती हूँ/करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है।

आवेदन की तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट:- (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(2) विकलांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो-पेडिक्स के विभागाध्याक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

42/106/17

नोडल पदाधिकारी,
औ० प्र० सं०, छतरपुर
सह प्राचार्य, औ० प्र० सं०,
डालटनगंज।